न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 58/2016

श्रीमति कौशल्या पत्नि श्री राजेश कुमार जाति हरिजन निवासी मसूदा तहसील जिला अजमेर राजस्थान।

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र श्री चिमना जाति रेगर
2. रतनलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति खटीक
3. गोपाल पुत्र मांगीलाल जाति खटीक
4. श्रीमति जशोदा पत्नि श्री हीरालाल जाति खटीक
5. टीकमचन्द पुत्र श्री हीरालाल जाति खटीक
6. कैलाश पुत्र श्री हीरालाल जाति खटीक
7. नन्दा पुत्र रतना जाति रेगर
8. हरजी पुत्र रतना जाति रेगर
9. छोटू पुत्र रतना जाति रेगर
10. श्रीमति मोहनी पत्नि रतना जाति रेगर
    समस्त निवासीगण ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थीया ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार मंडल मसूदा भू0 अ0 नि0 क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 3452 रक्बा 09–05–00 बीघा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

वकील प्रार्थीया को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मसूदा द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 44 में ख0 न0 3452 रक्बा 09–05–00 बीघा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने की अधिकारीणी पाई जाती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम मसूदा द्वितीय स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 3452 रक्बा 09–05–00 बीघा में मौका कमीश्नर रु 1500/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.29 13:07:46 IST
Reason: SelfAttested